भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3078

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक बैंकों की एनपीए

3078. कुमारी गोड्डेति माधवीः
श्री संजय काका पाटीलः
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः
श्रीमती चिंता अनुराधाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कुल कितनी गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए) हैं;

(ख) 2019-20 से 2020-21 तक गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के कुल मूल्य में आए परिवर्तन के प्रतिशत का बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनपीए से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का कुल सकल अग्रिम, जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 18,19,074 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 52,15,920 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धतियां, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी तथा आर्थिक मंदी है। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से एनपीए में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों पर अनुमानित हानियों, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अलावा, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 में वापस ले लिया गया था। वैश्विक परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, मुख्यतया दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, पीएसबी का सकल एनपीए, जो दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार, 2,79,016 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 8,95,601 करोड़ रुपए हो गया तथा पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2020 को कम होकर 6,78,317 करोड़ रुपए हो गया। पीएसबी की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.12.2020 को यह कम होकर 5,77,137 करोड़ रुपए हो गया है।

वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.03.2020 की तुलना में दिनांक 31.12.2020 को पीएसबी के सकल एनपीए में प्रतिशत में परिवर्तन का बैंक-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

जवाबदेह और स्वच्छ प्रणाली के लिए सरकार ने एनपीए की पारदर्शी पहचान, समाधान और दबावग्रस्त खातों से धन की वसूली, पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण और पीएसबी व व्यापक वित्तीय प्रणाली में सुधार की व्यापक कार्यनीति लागू की है। एनपीए को कम करने के लिए उठाए गए व्यापक कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के गठन के साथ ऋण संस्कृति में परिवर्तन होने से ऋणदाता-कर्जदार के संबंधों में मूलभूत बदलाव किया गया, चूककर्ता कंपनी के प्रवर्तकों/स्वामियों से कंपनी का नियंत्रण छीन लिया गया और समाधान प्रक्रिया से इरादतन चूककर्ताओं को प्रतिबंधित किया गया एवं उन्हें बाजार से निधियां जुटाने से प्रतिबंधित किया गया। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2020 तक आईबीसी के तहत 277 मामलों में समाधान योजनाओं को अनुमोदित किया गया है जिसमें वित्तीय लेनदारों द्वारा 1.89 लाख करोड़ रुपए की राशि वसूल की गयी है।

(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे संशोधित किया गया है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण न दिये जाने के मामले में तीन माह के कारावास तथा उधारदाता द्वारा बंधक रखी संपत्ति पर 30 दिन के भीतर कब्जा प्राप्त करने का प्रावधान है।

(3) आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार, इरादतन चूककर्त्ताओं को बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधाएं स्वीकृत नहीं की जाती हैं और उनकी इकाई को पांच वर्ष के लिए नए वेंचर लगाने से प्रतिबंधित किया गया है।

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2016 के द्वारा इरादतन चूककर्ताओं और ऐसी कंपनियों जिनके प्रवर्तक/निदेशक इरादतन चूककर्ता हैं, को बाजार से निधियां जुटाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है।

(5) उच्च मूल्य वाले मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए डीआरटी को सक्षम बनाने हेतु ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। वसूली को गति प्रदान करने के लिए छः नए ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) की स्थापना की गयी है।

(6) पीएसबी द्वारा बाजार से स्वयं 2.77 लाख करोड़ रुपए की निधियां, इक्विटी और बॉन्ड दोनों के रूप में, जुटाकर और 36,226 करोड़ रुपए की सीमा तक गैर-कोर आस्तियों को मुद्रीकृत करने के साथ-साथ पिछले छः वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा पीएसबी में 3.24 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया गया है, जिससे पीएसबी एनपीए का समय पर समाधान करने में सक्षम बन सकें।

(7) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक सुधार एजेंडा के भाग के रूप में पीएसबी में किए गए मुख्य सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) बड़े मूल्य वाली दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में केन्द्रित स्लिपेज की रोकथाम, वसूली प्रबंधन और समयबद्ध कार्रवाई के लिए बैंकों में दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल स्थापित किए गए हैं।

(ii) पीएसबी की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीतियों में संवितरण से पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन तथा संबद्धता, परियोजना वित्तपोषण में समूह तुलन-पत्र की जांच करना और नकदी प्रवाह को सीमित करना एवं गैर-निधि और अंतिम जोखिम के मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है।

(iii) आंकड़ा स्रोतों में व्यापक सम्यक तत्परता के लिए तृतीय पक्ष आंकड़ा स्रोतों के उपयोग को लागू किया गया है और इस प्रकार गलत तथ्य प्रस्तुत करने और धोखाधड़ी के कारण होने वाले जोखिम को कम किया गया है।

(iv) उच्च मूल्य वाले ऋणों की स्वीकृति और निगरानी की भूमिकाओं को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है और 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय तथा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाली विशेषज्ञ निगरानी एजेंसियों को तैनात किया गया है।

(v) एकबारगी निपटान (ओटीएस) में समयबद्ध और बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आद्योपान्त (एंड टू एंड) ओटीएस प्लेटफार्म स्थापित किए गए हैं।

*****

अनुबंध

मार्च, 2020 की तुलना में दिसम्बर, 2020 में पीएसबी के सकल एनपीए में प्रतिशत परिवर्तन का ब्यौरा

बैंक	प्रतिशत परिवर्तन
बैंक ऑफ बड़ौदा	-8.94
बैंक ऑफ इंडिया	-10.65
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-33.57
केनरा बैंक	-18.55
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	-9.52
इंडियन बैंक	-16.10
इंडियन ओवरसीज बैंक	-15.87
पंजाब एंड सिंध बैंक	-4.33
पंजाब नैशनल बैंक	-10.16
यूको बैंक	-40.67
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-9.49
भारतीय स्टेट बैंक	-21.36

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

***